कार्यालय जनपद न्यायाधीश, बहराइच।
(नजारत अनुभाग)
नीलामी सूचना

जनपद न्यायालय, बहराइच के निष्प्रयोज्य वाहन अम्बेस्डर कार पंजीयन सं0– यू0पी0 32 पी–4682 एवं यू0पी0 32 पी–4677

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय बहराइच के निष्प्रयोज्य वाहन अम्बेस्डर कार पंजीयन सं0– यू0पी0 32 पी 4682 एवं यू0पी0 32 पी 4677 की सार्वजनिक नीलामी जनपद न्यायालय परिसर बहराइच में दिनांक 28.10.2025 को समय सांय 4.00 बजे जिला स्तरीय समिति द्वारा की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति ससमय उपस्थित होकर बोली हेतु जमानत धनराशि रु0 4,000/– जमा कर, नीलामी बोली में भाग ले सकते हैं।

नीलामी शर्तें निम्नवत् हैं:–

1– प्रत्येक बोलीदाता को बोली बोलने के पूर्व रु0 4,000/– (रुपये चार हजार मात्र) की धनराशि जमानत के रूप में नजारत अनुभाग में नगद जमा करना होगा।

2– नीलामी समिति को पूर्ण अधिकार होगा कि किसी भी बोली को बिना कारण बताये निरस्त कर दे।

3– वाहन जहॉ जैसी दशा में हो नीलामी किया जायेगा।

4– नीलामी समिति द्वारा स्वीकार की गयी उच्चतम बोली तभी अंतिम मानी जायेगी, जब जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा अनुमोदित कर दी जायेगी।

5– नीलामी समिति का यह विचार होने पर कि बोली बोलने वाले व्यक्तियों ने एक गिरोह बना लिया है और वाहन का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, ऐसी स्थिति में नीलामी स्थगित कर दी जायेगी।

6– उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति को उच्चतम बोली की 25 प्रतिशत धनराशि नीलामी समाप्त होने के तुरंत बाद जमा करनी होगी।

7– बैंक ड्राफ्ट/चेक स्वीकार नहीं किया जायेगा।

8– यदि उच्चतम बोली की 25 प्रतिशत धनराशि बोलीकर्ता द्वारा जमा नहीं की जाती है तो अंतिम बोली निरस्त कर दी जायेगी और वाहन को पुनः नीलाम किया जायेगा। ऐसी दशा में उच्चतम बोलीकर्ता की जमानत धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

9– समिति द्वारा स्वीकार की गयी अंतिम बोली जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा अनुमोदन के पश्चात बोलीकर्ता द्वारा उच्चतम बोली की सम्पूर्ण धनराशि दो दिवस के अन्दर जमा करने पर ही वाहन की सुपुर्दगी दी जायेगी। सुपुर्दगी के पश्चात वाहन तुरंत हटा लेना होगा।

10– इच्छुक बोलीकर्ता बोली के पूर्व वाहन को किसी भी कार्यदिवस में जनपद न्यायालय परिसर में उपस्थित आकर देख सकते हैं।

11– नीलामी शर्त के विषय में किसी प्रकार का विवाद होने पर जनपद न्यायाधीश महोदय, बहराइच का निर्णय अंतिम होगा तथा विवाद की स्थिति में कानूनी कार्यवाही जनपद बहराइच स्थित सक्षम न्यायालय के अधीन होगी।

अध्यक्ष, वाहन नीलामी समिति/
नगर मजिस्ट्रेट,
बहराइच।

प्रतिलिपि सार्वजनिक सूचना हेतु निम्नलिखित के नोटस बोर्ड पर चस्पा की जाएः

1. कार्यालय जिला जज, बहराइच।
2. कार्यालय जिलाधिकारी, बहराइच।
3. कार्यालय नगर पालिका परिषद, बहराइच।
4. कार्यालय जिला परिषद, बहराइच।
5. कार्यालय लोक निर्माण विभाग, बहराइच।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, लखनऊ।

7. अध्यक्ष/महामंत्री, जिला अधिवक्ता संघ, बहराइच।
8. नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, बहराइच।
9. सिस्टम आफिसर को जनपद न्यायालय, बहराइच की वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु।
10. रेलवे स्टेशन नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
11. बस स्टेशन नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
12. स्थानीय समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु. जिला सूचना अधिकारी, बहराइच को प्रेषित।

30/9/15

अध्यक्ष, वाहन नीलामी समिति/
नगर मजिस्ट्रेट,
बहराइच।

E:\document\My Documents\NZ\Adv87_10.doc